

21/3/2022

2017
00150

प्राप्त की वेश ही अखिलवत्ता का दीया
अनुपपत्तित आवण लागवदे गद्दी अखिलवत्ता
वारी अथवा वारीय प्राम उपपत्तित
नेही गवाह अनुपपत्तित प्रकार अदम
हाजरी अदम पंजी, अदम सक्षत मे खरीज
किपा जाता है। डिब्बे जारी हो। प्राप्त
केवल्य शुमार होकर नम्बर ले कम है।



(शजाम सुन्दर विस्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिन्नीगढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ

1.शान्ता बाई पत्नी उत्तमीचन्द जाट नि.पाटनिया तह.व जिला चित्तौडगढ
वादी

बनाम

1.श्रीमती उत्तमीचन्द पिता मांगीलाल जाट नि.पाटनिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2.श्रीमान् उप पंजीयक महोदय , उप पंजीयन कार्यालय तह.चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 219/2017 (GCMS 2017/00150)

वादी की ओर से वकील श्री. - की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री. -
की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम
निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती
है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम सबूत मे खारीज
किया जाता है।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी
जावे। यह आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत
से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)